

फर्द अहकाम

यालय उपरखण्ड मजिस्ट्रेट चाकसू जिला प्रयागर

वकील वनाम बीतावली

दमा संख्या / वर्ष : 46/2022

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
41/22		<p>पतावली के एडमी करीब पत्तकम उपर बंद ज. पट्ट उभयपत्तोवी बुनी जमी बंद बुनने व पतावली का अवलोकन करने के उपरान्त अफसरि ल. ① को ताल्लतवादा विवादित भूमि में अपने लखिखे 1/4 के दर हिस्सा 1/2 यानी उल 1/8 से अधिक का बेचान / व्ययन न करने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">पतावली के जल श्रुका एकल लखिखे के एक दो</p> <p style="text-align: right;">36 उपरखण्ड अधिकारी चाकसू (प्रयागर)</p>	<p>अपनी मुद्रा</p> <p>विवादित</p> <p>करीब 1/4 के</p> <p>दर हिस्से 1/2</p> <p>22 दिनांक</p> <p>यानी 36</p> <p>1/8 के व्ययन</p> <p>का बेचान</p> <p>करने</p> <p>ताल्लतवादा</p> <p>कारण से</p> <p style="text-align: right;">4/2/22</p>